FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
डॉ. चन्द्रभानु राजपुरोहित, निवासी 417–बी, बापू नगर (विस्तार) आई.जी. पब्लिक स्कूल के पीछे, पाली (राज.) 306401		सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 51 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	624-25 6/5/19
29/5/19	अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी तह० जैतारण के द्वारा उनके सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जो करवाई जावे। इस न्यायालय में अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिए पत्रांक कोर्ट/2019/624 दि० 6/5/19 के लोक सूचना अधिकारी तह० जैतारण को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार जैतारण से प्राप्त पत्रांक लो.सू०अ०/रा०अ०/2019 दि० 18-5-19 के द्वारा अपीलांट द्वारा वांछित सूचना उनको जरिए Regd. डाक से भिजवाई गई है इस कारण से अपील निरस्त कराने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तह० जैतारण द्वारा उपलब्ध जरिए रजि०डाक से दिनांक 18/5/19 को प्रेषित कर उपलब्ध करा दी है। इस अपील में उक्त सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती। लोक सूचना अधिकारी तह० जैतारण के पत्र की प्रति शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली बाद न्यायालय से शुमार फैसला की जाकर नम्बर से कम हो।	782 4/6/19

जिला कलेक्टर, पाली